रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2305] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934
No. 2305] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

का.आ. 2799(अ).—यत: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और उसके विभिन्न गुट, विंग्स और फ्रंट्स (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उल्फा कहा गया है) का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों से मिलकर, सशस्त्र संघर्ष द्वारा असम को भारत संघ से 'मुक्त कराना' है;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उल्फा :-

(i) असम को मुक्त करने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भारत की संप्रभुता और भू-भागीय अखंडता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त है;

(ii) असम को भारत से पृथक करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधि विरुद्ध संगमों के साथ संबद्ध रहा है;

(iii) इसकी विधि विरुद्ध संगम के रूप में घोषणा किए जाने के दौरान भी यह अपने ध्येयों और उद्देश्यों के अनुसरण में अनेक विधि विरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है;

और यत:, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उल्फा के द्वारा किए गए विधि विरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) 01 जनवरी, 2011 से 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान की गई पचहत्तर हिंसक घटनाएं;

(ii) 01 जनवरी, 2011 से 31 अगस्त, 2012 तक की अवधि के दौरान की गई चार सुरक्षा बल कार्मिकों सहित ग्यारह व्यक्तियों की हत्याएं;

(iii) फिरौती के लिए अपहरण की कार्रवाईयों के अलावा धन ऐंठने और अलगाववादी गतिविधियों तथा निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने के क्रियाकलापों में संलिप्तता; तथा

(iv) सुरक्षा बलों की स्थापनाओं और उनके कार्मिकों, राजनेताओं, रेलवे और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में अपने कॉडरों को अनुदेश देना;

(v) पड़ोसी देशों में शरण स्थल और प्रशिक्षण शिविर स्थापित करना;

(vi) अपनी हिंसक और विद्रोही गतिविधियों को जारी रखते हुए एक सुनियोजित अभियान चलाकर बुनियादी स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क का पुनर्गठन शुरू करना।

और यत:, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित कारणों से, उल्फा के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकर हैं और यह कि यह एक विधि विरुद्ध संगम है;

और यत:, यदि उल्फा के विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को तत्काल रोका और नियंत्रित नहीं किया गया तो इसे निम्नलिखित कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है-

(i) अपने कॉडरों को अपने पृथकतावादी, विध्वंसक और हिंसक क्रियाकलापों के लिए लामबंद करना;

(ii) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता की विरोधी ताकतों के सहयोग से, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का खुलेआम प्रसार करना;

(iii) नागरिकों की अधिकाधिक हत्या करना और पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में संलिप्त रहना;

(iv) सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना;

(v) अपने विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से प्रचुर मात्रा में धन और अवैध कर ऐंठना एवं संग्रह करना;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37), जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ इसके सभी गुटों, विंगों एवं मुख्य संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है;

उल्फा के ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए और हाल ही में पुलिस, सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध उल्फा की सतत् बढ़ती हिंसा का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिससे उल्फा को तात्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/81/2012-एनई-V]

डॉ. एम. सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2012

S.O. 2799(E).—Whereas, the United Liberation Front of Asom and its various factions, wings and fronts (hereinafter referred to as the ULFA) has as its professed aim, the "Liberation" of Assam from the Indian Union through an armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that ULFA has-

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

(ii) aligned itself with other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;

And Whereas, the Central Government is of further opinion that the unlawful and violent activities which are attributed to ULFA include-

(i) seventy five incidents of violence during the period from 1st January, 2011 to 30th September, 2012;

(ii) killing of eleven persons including four Security Forces personnel during the period from 1st January, 2011 to 31st August, 2012;

(iii) indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering lives of innocent citizens, in addition to acts of kidnapping for ransom; and

(iv) instructing its cadres to carry out acts by targeting the establishments of security forces and their personnel, political leaders, railways and oil installations;

(v) establishing sanctuaries and training camps in neighbouring countries;

(vi) embarking upon restructuring of its organizational network at the grass root level by launching a quite but systematic drive for recruitment of fresh cadres while continuing its violent and insurgent activities;

And Whereas, the Central Government is also of the opinion that the activities of ULFA are, for the reasons mentioned above, detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

And Whereas, if there is no immediate curb and control of unlawful activities of ULFA, it may take the opportunity to-

(i) mobilize its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities;

(ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of police and security forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;

(v) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), hereinafter referred to as the said Act , the Central Government hereby declares the United Liberation Front of Asom (ULFA) alongwith all its factions, wings and front organizations as unlawful associations;

The Central Government, having regard to the activities of ULFA mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by ULFA in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, is also of the opinion that circumstances exist which renders it necessary to declare ULFA to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/81/2012-NE-V]

Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.

4418 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.